संख्या-104/2017/136 मंत्री/26-3-2017-25 रिट/2010

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 30 जून, 2017

विषयः ऑल इण्डिया धनगर समाज महासंघ बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-40462/2009 में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-14.03.2012 के अनुपालन में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक-16.01.2013 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1654/26-3-2013, दिनांक-24.10.2013 एवं पत्र संख्या-222/2016/5506/26-3-2016-25 रिट/2010, दिनांक-16.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सिविल मिस रिट याचिका संख्या-40462/2009 ऑल इण्डिया धनगर समाज महासंघ उ0प्र0 व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-14.03.2012 तथा उक्त परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग द्वारा पारित आदेश दिनांक-16.01.2013 के अनुपालन में DHANGAR (धनगर) न कि DHANGAD (धंगड़/धनगड़, धंगर) जाति के व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का निर्देश पारित किया गया था।

2- इस सम्बन्ध में श्री जे.पी. धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय धनगर महासभा, आगरा के पत्र दिनांक-03.05.2017 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा पारित आदेश/निर्णय का अनुपालन नियमानुसार सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव ।

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**